

प्रेमक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 12 फरवरी, 2016

विषय:- जनपद अलीगढ़ में गौमत-बाजना मार्ग (एम0डी0आर0-139) किमी0 37.280 की दायीं पट्टी पर ग्राम-शिवाला के खसरा संख्या- 927 पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.059 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/36/2015/एफसी/937, दिनांक 21-10-2015, का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अलीगढ़ में गौमत-बाजना मार्ग (एम0डी0आर0-139) किमी0 37.280 की दायीं पट्टी पर ग्राम-शिवाला के खसरा संख्या- 927 पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.059 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति से सम्बंधित प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 1634/अलीगढ़/12524/ यूपी/073/2015, दिनांक 04-02-2016 के द्वारा संशोधित प्रस्ताव मूलरूप में (02 प्रतियों में) शासन को उपलब्ध कराया गया है।

3- विषयगत संशोधित प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि ।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- 325(1)/14-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।